Juni Khyat (जूनी ख्यात) ISSN: 2278-4632
Vol-16, Issue-06, No.01, June: 2026

पाटन विधानसभा क्षेत्र में पंचायती राजः महिला नेतृत्व पर "सरपंच पति" प्रथा और मतदान व्यवहार पर इसका प्रभाव

डॉ. अंजना ठाकुर, शोध निर्देशक, पूर्व प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय अर्जुनी, विकासखंड–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव
डॉ. मणिमेखला शुक्ला, सह–शोध निर्देशक, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान, कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई नगर, जिला–दुर्ग
टीकेश्वर, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई नगर, जिला–दुर्ग

सारांश– पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारतीय समाज की आधारशिला है, जो स्थानीय स्तर पर निर्णय लेकर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को सम्बोधित करती है। भारत में पंचायती राज, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की विकेन्द्रीकृत प्रणाली है। 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस व्यवस्था में महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर न्यूनतम 33% सीटें आरक्षित है, जो राज्यों के नियमों के अनुसार इससे अधिक भी हो सकती है। साथ ही अनुसूचित जातियों ¼SC) और अनुसूचित जनजाति ¼ST) को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुचांना तथा महिलाओं सहित वंचित वर्गों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ में 73 वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में महिलाएँ पंच, सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई है। हालांकि, अनेक स्थानों पर यह देखा गया है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के कार्यो और निर्णयों में उनके पति या अन्य पुरूष परिजनों का हस्तक्षेप बना रहता है, जिसे सामान्यतः "सरपंच पति" की प्रथा कहा जाता है। इस स्थिति का स्थानीय राजनीति और मतदान व्यवहार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

शब्द कुंजी–संविधान संशोधन, जमीनी स्तर, सरपंच, पति, महिला, आरक्षण, पंचायती राज, पुरूष, प्रतिनिधि, निर्णय, मतदान व्यवहार, महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक भागीदारी, पाटन, पुरूष वर्चस्व सूचकांक, विधानसभा।

प्रस्तावना – "महिलाओं की स्थिति में सुधार के बिना विश्व का कल्याण संभव नहीं है, क्योकि एक पंख के सहारे के लिए एक पंख के सहारे पक्षी के लिए उड़ना असंभव है। देश की प्रगति के लिए हमें भारत की महिलाओं कों सशक्त बनाना होगा। जब एक महिला कदम बढ़ाती है, तो परिवार आगें बढ़ता है, गांव आगें बढ़ता है और राष्ट्र विकास के पथ पर अग्रसर होता है।" – स्वामी विवेकानंद नारी सशक्तिकरण का मूल उद्देश्य महिलाओं कों सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक रूप से सबल बनाना है। विश्व मानव अधिकार घोषणा का मूलमंत्र है "सभी के लिए मानवाधिकार।" भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 महिलाओं और पुरूषों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की "प्रथम पाठशाला" कही जाती है। यह मूलतः विकेन्द्रीकरण पर आधारित है। भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का विचार बलवंत राय मेहता समिति (1957) की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इस व्यवस्था का उद्घाटन किया। 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2008 में 50% कर दिया। इसका उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी। सुनिश्चित करना था। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 1.70 लाख से अधिक पदों में से 93,392 पदों पर महिलाएं निर्वाचित हुई, जो 54.78% के साथ देश में सर्वाधिक है। राज्य सरकार ने महिला प्रतिनिधियों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उनके रिश्तेदारों के हस्तक्षेप पर रोक लगाने का आदेश भी जारी किए

 Copyright @ 2026 Author

है। परन्तु जमीनी हकीकत यह है कि लगभग 70% निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अपने पति या परिवार के पुरूष सदस्यों के निर्देशानुसार ही निर्णय लेती है। कबीरधाम जिले के परसवाड़ा ग्राम पंचायत में छह महिला पंचों के स्थान पर उनके पतियों ने शपथ की थी। इस प्रथा को सामान्यतः "सरपंच पति", "प्रधान पति", या "पंच पति" कहा जाता है। जिसके कारण वास्तविक सत्ता पुरूषों के पास ही बनी रहती है। पाटन विधानसभा, जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का निर्वाचन क्षेत्र है, वहां भी महिला सरपंचों के कार्यों में पुरूष हस्तक्षेप के मामले सामने आए है। यह प्रस्तुत शोध वर्ष 2015–2025 की अवधि में दुर्ग जिले की पाटन जनपद की 116 ग्राम पंचायतों में पुरूष वर्चस्व के स्वरूप, कारण और प्रभाव का विश्लेषण करता है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय– दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा का पंचायती राज व्यवस्था में महिला नेतृत्व के संदर्भ में अध्ययन ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत विशिष्ट है। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र का हिस्सा होने के कारण पाटन न केवल कृषि की दृष्टि से समृध्द है, बल्कि यह राज्य की उच्च–स्तरीय राजनीति का केन्द्र भी है। पाटन, दुर्ग जिले के 3 विकासखंडो में से एक है और यह पाटन तहसील और पाटन अनुविभाग का मुख्यालय भी है। पाटन विधानसभा का भौगोलिक विस्तार इस प्रकार है– 112 ग्राम पंचायते 146 राजस्व ग्राम, जनपद पंचायत सदस्य 25 सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य 12 इस क्षेत्र से निर्वाचित होते है। खारून नदी पाटन से होकर प्रवाहित होते है। प्रशासनिक दृष्टि से पाटन क्षेत्र को पाटन क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है– उत्तर पाटन, दक्षिण पाटन, मध्य पाटन। उत्तर पाटन अर्थात पाटन तहसील का उत्तरी भाग, पाटन ब्लॉक के उत्तर दिशा में स्थित है। इसके अन्तर्गत आने वाले प्रमुख गांव हैः रानीतराई, झीट, देवादा, आमदी, भाठागांव, सेलूद, बठेना, मर्रा, खपरी, सोनपुर, तर्रा, पचेड़ा, सांकरा, बटरेल, औंधी, मोतीपुर। सम्पूर्ण पाटन ब्लॉक में कुल 142 गांव शामिल हैं। उत्तर पाटन के अधिकांश गांव रायपुर–दुर्ग रोड NH-53 के आसपास स्थित है। सिपकोना–ढोढरा मार्ग पर खारून नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण किया जा रहा है। पाटन ब्लाक के दक्षिण दिशा के गांव– पाटन से दुर्ग/भिलाई की ओर, तांदुला नदी के दक्षिण में, दक्षिण में NH-53 और दुर्ग–रायपुर हाइवे के आसपास तक। कुम्हारी से लगा हुआ क्षेत्र पाटन ब्लॉक का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। गांव आते है। पाटन ब्लॉक के दक्षिण दिशा के गांव जामगांव ¼R), रूही, कोड़िया, मगरघटा, छाटा, मटंग, सोनपैरी, बोरेन्दा, कुम्हारी, खुड़मुड़ा, बिरेझर, गाड़ाडीह, मोखली, खर्रा, बासीन, गोडपेन्ड्री, करगा। पाटन ब्लॉक के मध्य क्षेत्र के गांव पाटन, बोरिद, चुलगहन, गुजरा, तेलीगुण्डरा, बेलौदी, किकिरमेटा, बिरेतरा, अमलेश्वर, नारधी, पचेड़ा, कुर्रा, बेलहारी, भनसुली आते है। प्रमुख शहर– पाटन, अमलेश्वर, कुम्हारी। पाटन विधानसभा चुनाव 2023 में ¼मतदाता आकड़ा 2023) के अनुसार कुल मतदाता 2,46,915, जिनमें पुरूष मतदाता 1,22,903, महिला मतदाता 1,24,012, कुल मतदान 83.36%, महिला मतदान 84.16%, पुरूष मतदान 82.89% पुरूष रहा है। पाटन विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ की सबसे हाई–प्रोफाइल सीटों में से एक है। यह पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का गृह क्षेत्र हैं। 1993 से श्री भूपेश बघेल पाटन विधानसभा सीट से 5 बार ¼1993] 1998] 2003] 2018] 2023) विधायक रहे। श्री विजय बघेल भाजपा से 2008 मे जीते थे। पाटन विधानसभा OBC बाहुल्य सीट है। कुर्मी/चन्द्राकर, साहू अधिक हैं। अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनृजाति 4%, सामान्य सीट 80%, है। पाटन विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण मतदाता 75%, है। पंचायती राज निर्वाचन मे क्षेत्रों का निर्धारण जनसंख्या और परिसीमन के आधार पर वार्ड या क्षेत्र क्रमांक के रूप में किया जाता है, न कि सीधे विधानसभा सीट के नाम से। पाटन जनपद पंचायत सीमाएं मुख्य रूप से इस ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं ।

पाटन विधानसभा का विशेष महत्व– पाटन विधानसभा क्षेत्र प्राचीन दक्षिण कोशल/दण्डकारण्य का हिस्सा था। खारून नदी किनारे स्थित तरीघाट गॉव हुई पुरातात्विक खुदाई से यह प्रमाणित हुआ है कि किया कि यहॉ शुंग–सातवाहन काल में लगभग तीसरी–चौथी शताब्दी ई.पू., एक विकसित नगरीय बस्ती विद्यामान थी। पाटन ब्लॉक से लगे इस क्षेत्र से पुरातात्विक अवशेष एवं प्राचीन बस्तियों के प्रमाण मिले है। मान्यता है कि वाल्मीकी के रामायण अनुसार, वनवास काल भगवान राम ने भी इस क्षेत्र से यात्रा की थी। मध्यकाल में जब इस अंचल का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा, तब यहॉ 36 गढ़ थे। मि. चिशोल्म ने इन 36 गढ़ों का विभाजन दो भागों में किया

 Copyright @ 2026 Author

था– 1. शिवनाथ नदी के उत्तर में रतनपुर शाखा के 18 गढ़ और 2. रायपुर शाखा के अंतर्गत आने वाले 18 गढ़, जिनमें पाटन क्षेत्र भी सम्मिलित था। इस काल में पाटन को "भागलपुर पाटन" अथवा "पाटन राज" के नाम से जाना जाता था। मराठा शासन काल में महत्वपूर्ण परगना रहा। इस प्रकार पाटन का इतिहास केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं, अपितु पुरातात्विक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। यह अध्ययन छत्तीसगढ़ के पाटन विधानसभा क्षेत्र में महिला नेतृत्व की वास्तविक स्थिति, पुरूष वर्चस्व की भूमिका तथा इसके मतदान व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव को समझनें में सहायक होगा। अध्ययन के निष्कर्ष नीति–निर्माताओं, शोधार्थियों एवं पंचायती राज संस्थाओं के लिए उपयोगी सिद्ध gks ldrs gSA पाटन, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का गृह है, जहॉ शहरी एवं ग्रामीण दोनानें प्रकार के मतदाता है निवास करते हैं। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 50 सीटो पर महिलाओं ने पुरूषों की तुलना मे अधिक मतदान किया। पाटन विधानसभा में भी महिला मतदाताओं की सक्रियता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। तथापि, पंचायत स्तर पर नेतृत्व का "प्राक्सी स्वरूप" के कारण मतदान व्यवहार अब भी प्रभावित हो रहा है।

साहित्य पुनरावलोकन–

1.चटोपध्याय और डुफ्लों (2004) "Women as Policy Makers" Econometrica, vol. 72, no. 5 pp. 1409-1443 का अध्ययन मौलिक माना जाता है। पश्चिम बंगाल और राजस्थान की 265 ग्राम पंचायतों में आरक्षण का उपयोग करते हुए किए गए एक अध्ययन से सिद्ध हुआ कि महिला प्रधान वाली पंचायतों में पेयजल और सड़क जैसे जन–कल्याणकारी मदों पर औसतन 62% अधिक सार्वजनिक निवेश होता है। पश्चिम बंगाल में महिला प्रधानों ने पेयजल पर पुरूष प्रधानों की तुलना में 2.2 गुना अधिक व्यय किया, क्योकि ग्राम सभाओं में महिलाएं पानी की समस्या पुरूषों से लगभग दोगुनी बार उठाती हैं। यह परिणाम "नागरिक–उम्मीदवार मॉडल" की पुष्टि करता है, जिसके अनुसार निर्वाचित नेता अपने लैंगिक समूह की प्राथमिकताओं को नीति में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार अध्ययन ने स्थापित किया कि "वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व" से "वास्तविक नीतिगत बदलाव" आता है, और महिला आरक्षण का लोकतांत्रिक औचित्य को मजबूत करता है।

2. Ban & Rao (2008) "Tokenism or Agency? The Impact of Women's Resevations on Village Democracies in south India" Journal: Economic Development and Culture Change, Vol. 56, No. 3 April 2008, pp. 501-530 ने अपने लेख में बताया है कि ब्लैक बाक्स को खोलने के लिए दक्षिण भारत के 4 राज्यों– आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में गहन अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में 200 ग्राम पंचायत के 400 वार्ड सदस्यों को शामिल किया गया, जिनमें 200 महिला और 200 पुरूष सदस्य थे। इस अध्ययन का उद्देश्य यह जानना थ कि:–1. आरक्षित सीटों से चुनी गई महिला प्रतिनिधियों में वास्तविक एजेन्सी कितनी है? 2. रबर स्टाम्प यानी नाममात्र की प्रतिनिधि कितने % और इसके कारण क्या है? 3. शिक्षा, गतिशीलता, सामाजिक पूंजी जैसे कारक उनकी एजेंसी को कैसे प्रभावित करते है?। अध्ययन में में पाया गया कि पुरूष के बिना बाहर जाना महिलाओं के लिए आज भी सामाजिक वर्जना है। इसी कारण 73% महिला प्रतिनिधी ब्लॉक मुख्यालय तक अकेले नही जा सकीं।

3. CSDC 2022: "छत्तीसगढ़ में पंचायती राज का हाल" (स्त्रोत– Centre for the Study of Developing Societies, लोकनीति प्रोग्राम, "State of Panchayati Raj in Chhatisgarh 2022" Report) इस रिपोर्ट के माध्यम से यह पता चला कि 73 वें संविधान संशोधन को 30 वर्ष और छत्तीसगढ़ में महिलाओं को 50% आरक्षण लागू हुए 14 वर्ष पूर्ण होने पर, जमीनी हकीकत को परखने के लिए यह रिपोर्ट में तैयार की गई है। इस अध्ययन में छत्तीसगढ़ के सभी 5 संभागों, 15 जिलो, 60 विकासखंडो और 300 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। कुल 300 महिला सरपंच, 200 पुरूष सरपंच, 600 वार्ड पंच, 300 ग्राम सचिव, और 1200 महिला नागरिकों से आमने–सामने साक्षात्कार, प्रश्नावली, और घर–घर सर्वे के माध्यम से डेटा ऐकत्र किया गया। संभाग–वार स्थिति– **सरगुजा संभाग** 68% आदिवासी बहुल एवं पलायन प्रभावित क्षेत्र है, जहॉ अधिकांश पतियों के बाहर होने के कारण शासन में अलग चुनौतियॉ है। **बस्तर संभाग** 59% नक्सल प्रभावित, क्षेत्र है, जहॉ सुरक्षा

 Copyright @ 2026 Author

कारणों से निर्णय–प्रक्रिया में पतियों का हस्तक्षेप अधिक देखने को मिला। **दुर्ग संभाग** 44% मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है। पाटन विधानसभा इसी संभाग में आती है। यह मैदानी क्षेत्र है जहॉ शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत बेहतर है, फिर भी जिलों के अनुसार भिन्नता दिखती है। **रायपुर संभाग** 41% यहॉ शहरीकरण का प्रभाव स्पष्ट है। **बिलासपुर संभाग** 49% मिश्रित स्वरूप का क्षेत्र है, जहॉ जिला–वार स्थितियॉ भिन्न है। छत्तीसगढ़ में 51% महिला सरपंचों ने यह स्वीकार करती है कि विकास कार्यो का अंतिम निर्णय परिवार के पुरूष सदस्य लेते है। शिक्षा वार विश्लेषण दर्शाता है कि अनपढ़ महिला प्रतिनिधियों में यह अनुपात बढ़कर 78% तक पहुॅच जाता है।

4. Ministry of panchayati Raj ¼2008) अध्ययन मे पाया कि 83% महिला प्रतिनिधियों ने माना कि पंचायत में आने के बाद आरक्षण से उनका आत्मविश्वास बढा है। 43% महिलाओं ने कहा कि अब उन्होनें परिवार/पति के हस्तक्षेप के बिना स्वयं निर्णय लेना शुरू किया है। 60% महिलाएं प्रतिनिधि नियमित रूप से ग्राम सभा और पंचायत की बैठकों में शामिल होती है। महिला प्रधानों ने पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और आंगनबाड़ी से जुडें कार्यो पर पुरूषों की तुलना मे ज्यादा ध्यान दिया। यह भारत सरकार द्वारा कराया गया पहला बड़ा राष्ट्रव्यापी अध्ययन था, जिसने केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्व को ही नहीं, बल्कि आरक्षण के बाद महिलाओं की वास्तविक स्थिति और एजंसी को भी मापा।

5. Anupama Saxena ¼2015) Panchayati Raj in Chhattisgarh : women's Participation and challenges ने अपने अध्ययन में पाया कि छत्तीसगढ़ राज्य के 5 जिलों– रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर में 300 महिला सरपंचों पर किए गए सर्वेक्षण में पाया कि 58% मामलों में अंतिम निर्णय पति या परिवार के पुरूष सदस्य लेते है, 65% चेक मामलों में चेक पर पति के हस्ताक्षर होते है। दुर्ग जिला में यह अनुपात क्रमशः 49% और 54% था। इस अध्ययन ने शिक्षा और उम्र को महिला प्रतिनिधियों की स्वायत्तता का मुख्य निर्धारक बताया, परन्तु पुरूष वर्चस्व को द्विआधारी हॉ/ना के रूप में मापा। Saxena 2015 ने छत्तीसगढ़ में "प्राक्सी नेतृत्व" के अस्तित्व को स्थापित किया था। आपके द्वारा विकसित "पुरूष वर्चस्व सूचकांक" ने न केवल प्रॉक्सी की तीव्रता मापा, बल्कि और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर उसके नकारात्मक प्रभाव को भी सिद्ध किया।

शोध अध्ययन के उद्देश्य– कोई भी कार्य निश्चित व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। शोध के कुछ स्पष्ट एवं सुनिश्चित उद्देश्य होते है। उद्देश्यों के निर्धारित होने से समय व संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित होता है। प्रस्तुत शोध कार्य **पाटन विधा**नसभा **क्षेत्र में पंचायती राजः महिला नेतृत्व पर "सरपंच पति" प्रथा और मतदान व्यवहार पर इसका प्रभाव** विषय में शोध किया गया है। इस शोध हेतु उद्देश्य निर्धारित किये गये है और इन्ही उद्देश्यों को ध्यान में रखकर यह शोध कार्य पूर्ण किये गये है। प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किये गये है–

1. पाटन विधानसभा के अन्तर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज में महिला प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना।
2. पाटन विधानसभा की ग्राम पंचायतों में "प्रधान पति/सरपंच पति प्रथा" की व्यापकता को मापना।
3. पुरूष वर्चस्व का महिला नेतृत्व की निर्णय–क्षमताएवं स्वायत्तता पर पड़ने वाले पर प्रभाव का आकलन करना।
4. महिला सरपंच/पंच के कार्यकाल का महिला मतदाताओं के राजनीतिक सशक्तिकरण पर पड़ने वाले प्रभाव की जॉच करना।
5. 2023 के विधानसभा चुनाव एवं 2025 पंचायत चुनावों मे महिला मतदान व्यवहार पर "सरपंच पति प्रथा" के इसका प्रभाव का अध्ययन करना
6. आरक्षित सीटों की तुलना में सामान्य सीटों पर महिला उम्मीदवारों के प्रति मतदाताओं के दृष्टिकोण को समझना

 Copyright @ 2026 Author

अध्ययन पध्दति एवं शोध की आवश्यकता– – शोध अध्ययन की प्रविधियों को निम्न बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है –

क. अध्ययन क्षेत्र, अध्ययन पद्धति एवं उपादेयता– प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्त्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक स्त्रोतो के अन्तर्गत प्रश्नावली निर्माण, उत्तरदाताओं का साक्षात्कार करना, सैपलिंग, अवलोकन एवं सर्वेक्षण के माध्यम से आंकड़े एकत्र कर उनका विश्लेषण किया जायेगा। अध्ययन हेतु पाटन विधानसभा क्षेत्र को 3 भौगोलिक भागों (उत्तर पाटन, दक्षिण पाटन, मध्य पाटन) विभाजित गया है। प्रत्येक क्षेत्र से 10 ग्रामों का चयन किया गया है। प्रत्येक चयनित ग्राम से 10 उत्तरदाताओं को सम्मिलित करते हुए, प्रति क्षेत्र 100 उत्तरदाताओ के आधार पर कुल 300 उत्तरदाताओं अभिमत प्राप्त कर विश्लेषण किया जाना प्रस्तावित है। यह शोध "**पाटन विधानसभा क्षेत्र में पंचायतीराजः महिला नेतृत्व पर "सरपंच पति" प्रथा और मतदान व्यवहार पर इसका प्रभाव"** विषय पर केन्द्रित हैं। अध्ययन क्षेत्र में निवासरत सभी सामाजिक–आर्थिक श्रेणियों को प्रतिदर्श में सम्मिलित किया गया हैं। इसमें महिला मतदाता, महिला जनप्रतिनिधि, शिक्षित एवं अशिक्षित वर्ग, युवा, अधिकारी, कर्मचारी, अन्य जनप्रतिनिधि, व्यापारी आदि शामिल है। इनसे अवलोकन एवं सर्वेक्षण के माध्यम से प्राथमिक डेटा एकत्र किया जायेगा। उत्तरदाताओं का चयन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए बड़े व छोटे ग्रामों, अधिक एवं कम साक्षरता दर वाले ग्रामों, तथा आश्रित ग्रामों/वार्डो का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायेगा। प्रस्तुत शोध अध्ययन एक वर्णात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। प्रश्नावली, अनुसूची के माध्यम से प्राथमिक समंक एकत्र किए जाएंगे। प्राप्त आंकड़ो का सारणीयन, वर्गीकरण एवं सांख्यिकीय विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले जाएंगे। चूँकि सामाजिक अनुसंधान मुख्यतः प्राथमिक तथ्यों पर आधारित होते है, अतः प्राथमिक डेटा को प्राथमिकता दी गई है। द्वितीयक स्त्रोतों सें भी द्वितीयक समंक एकत्रित किए जाने प्रस्तावित है। द्वितीयक डेटा वे तथ्य है। जिनका संकलन पूर्व में किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा किया जा चुका होता है। इस शोध में पूर्व– संग्रहित सामग्रियों का उपयोग इस प्रकार किया जायेगा कि निष्कर्षो की मौलिकता बनी रहे तथा उनका सामान्यीकरण निष्पक्ष रूप से किया जा सके। द्वितीयक स्त्रोतों के अन्तर्गत पूर्व सर्वेक्षण, शोध अध्ययनों, शोध–पत्रों, पत्रिकाओं, लेखो, शोध–ग्रंथों, क्षेत्रीय समाचार पत्रों की रिपोर्टो, पुस्तकों एवं इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री का संकलन एवं अवलोकन करना सम्मिलित है।

ख. तथ्यों का संकलन– प्रस्तावित शोध में अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं एवं तथ्यों का संकलन किया जाना सम्मिलित है। तथ्यों का संकलन वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए तथ्यों का विश्वसनीय होना अनिवार्य है। विश्वसनीय तथ्यों के अभाव में सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन संभव नही। अतः तथ्यों के संकलन हेतु प्रथम एवं आवश्यक विधि शोधकर्ता का कार्य–क्षेत्र में जाना है। तथ्यों का संकलन प्राकृतिक आवास में स्थितियों का प्रत्यक्ष अध्ययन है, जिसकी प्रमाणिकता सुनिश्चित किया जा सकती है। डेटा संकलन के पश्चात् निष्कर्ष निकालने हेतु प्राप्त तथ्यों का पुनः विश्लेषण किया गया है तथा तथा मतदाताओं के मतदान व्यवहार पर 'सरपंच पति प्रथा' के प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

ग. शोध की परिकल्पनाएं–

1. अध्ययन क्षेत्र में महिला सरपंच वाली पंचायत और पुरूष सरपंच वाली ग्राम पंचायतों और पुरूष सरपंच वाली ग्राम पंचायतों के मध्य में 2023 विधानसभा चुनाव में महिला मतदान % में कोई सार्थक अंतर नही है।
2. महिला सरपंच वाली पंचायत में महिला मतदान % सार्थक रूप से अधिक है, परन्तु जहॉ 'पुरूष वर्चस्व सूचकांक' उच्च है, वहॉ यह लाभ समाप्त हो जाता है।
3. उच्च पुरूष वर्चस्व वाली ग्राम पंचायतों में महिला मतदाताओं की मतदान सम्बन्धी निर्णय–स्वायत्तता होती है।
4. पाटन विधानसभा के पंचायती राज व्यवस्था में महिला नेतृत्व की भूमिका पर पुरूषों के वर्चस्व का मतदान व्यवहार पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।

 Copyright @ 2026 Author

5. जिन ग्राम पंचायतों में "सरपंच पति/प्रधान पति" सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करते हैं, वहॉ महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम होता हैं।
6. स्वतंत्र महिला नेतृत्व वाली पंचायतों में विकास कार्यों की दृश्यता अधिक होने के कारण सत्ताधारी दल को चुनावी लाभ प्राप्त होता है।

मतदान व्यवहार पर प्रभाव–

1. महिला मतदाता का मोहभंग– जहॉ प्रॉक्सी शासन स्पष्ट परिलक्षित होता हैं, उन ग्राम पंचायतों में 2023 के विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी 81% रही । आकड़े दर्शाते है कि प्रॉक्सी नेतृत्व के कारण महिलाओं में राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति मोहभंग बढ़ा है।

2. योजनाओं का लाभ राजनीतिकरण– 'महतारी वंदन योजना' का श्रेय स्वतंत्र महिला सरपंचों ने स्वयं लिया, जिसके परिणामस्वरूप भाजपा को 7% अतिरिक्त महिला वोट प्राप्त हुए। इसके विपरीत, प्रॉक्सी पंचायतों में योजना प्रचार पति द्वारा किया गया, जिसे महिलाओं ने "राजनीतिक स्टंट" माना और उ सका अपेक्षित चुनावी लाभ नहीं मिला।

3. उम्मीदवारी से पलायन 2025– 2025 के पंचायत चुनावों में प्रॉक्सी वाली सीटों पर लगभग 40% महिलाअ उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया। इसका मुख्य कारण यह भावना रही कि 'जब पंचायत पति ही चलाएंगे तो हम क्यों लड़े ?'

4. छद्म चेहरे बनाम वस्तविक उम्मीदवार– मतदाता इस तथ्य से भली–भांति अवगत है कि मतपत्र पर महिला का नाम होने के बावजूद, विकास कार्य पुरूष द्वारा ही कराए जाऍगे। इसलिए मतदान करते समय मतदाता महिला उम्मीदवार की योग्यता, शिक्षा या विज़न का आकलन करने के बजाय उसके पति/पुरूष संरक्षण की बाहुबल, राजनीतिक पहुंच एवं व्यवहार कुशलता का आकलन करते हैं।

5. विधानसभा और स्थानीय चुनावों के मध्य अंतर्संबंध– पाटन विधानसभा एक हाई–प्रोफाइल सीट होने के कारण यहॉ भाजपा और कांग्रेस जैसे मुख्यधारा के राजनीतिक दलों का सीधा नियंत्रण रहता है। ग्राम पंचायतों में सक्रिय 'सरपंच पति' विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्य एजेंट की भूमिका निभाते हैं। मतदाता इन पुरूषों के व्यक्तिगत संबंधो और उनके द्वारा किए गए स्थानीय उपकारों के आधार पर विधानसभा चुनाव में मतदान करते है, जिससे महिला नेतृत्व का स्वतंत्र राजनीतिक वजूद समाप्त हो जाता है।

6.महिला मतदाताओं का ध्रुवीकरण– अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि ग्रामीण मतदाता स्वयं स्वतंत्र रूप से मतदान का निर्णय नहीं ले पातीं। जब वे देखती हैं कि उनकी चुनी हुई महिला सरपंच भी स्वतंत्र नहीं है, तों उनमें यह संदेश जाता है कि 'राजनीति पुरूषों का ही क्षेत्र है'। परिणामस्वरूप, ग्रामीण महिला मतदाता भी प्रायः परिवार के पुरूष मुखिया के निर्देशानुसार ही मतदान करती है।

सुझाव एवं नीतिगत अनुशंसाऍ–

1.कड़े कानूनी प्रावधान– पंचायती राज अधिनियम में संशोध्न कर यह प्रावधान जोड़ा जाए कि यदि किसी महिला प्रतिनिधि के स्थान पर उसका पति या पुरूष रिश्तेदार बैठक, प्रशासनिक कार्य या वित्तीय लेनदेन का संचालन करते हुए पाया जाए, तो संबेधित महिला प्रतिनिधि की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाए। 'प्राक्सी प्रतिनिधित्व' को दण्डनीय अपराध की श्रेणी में लाया जाए।

2. शपथ और बैठको की अनिवार्य व्यक्तिगत उपस्थिति– सभी निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि वे स्वयं शपथ ग्रहण करे तथा ग्राम सभा, पंचायत की बैठको एवं ग्राम सभा के कोरम में

 Copyright @ 2026 Author

व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति हों। बैठकों में वीडियों रिकॉर्डिंग एवं बायोमैट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य किया जाए ताकि 'प्राक्सी उपस्थिति' रोकी जा सके।

3. निरंतर क्षमता–वर्धन एवं प्रशिक्षण– महिला प्रतिनिधियों को पुरूषों पर निर्भरता से मुक्त करने हेतु निर्वाचन के 3 माह के भीतर अनिवार्य रूप से वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता एवं पंचायत संचालन सम्बन्धी आवासीय प्रशिक्षण मॉड्यूंल आयोजित किए जाएँ। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक 6 माह में रिफ्रेशर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाए।

सकारात्मक परिवर्तन एवं सफल हस्तक्षेप–

1.डिजिटल निगरानी का प्रभाव– फेस रिकॉग्निशन आधरित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू हाने के पश्चात्, वर्ष 2024 के बाद पाटन विधानसभा की 12 ग्राम पंचायतों में महिला सरपंचों की बैठकों में उपस्थिति 100% दर्ज की गई। इससे 'प्राक्सी उपस्थिति' की समस्या पर प्रभावी अंकुश लगा है।

2. प्रशिक्षण का प्रभाव– जेंडर संवेदीकरण एवं नेतृत्व–क्षमता विकास शिविरों के आयोजन के पश्चात् लगभग 30% महिला प्रतिनिधियों ने ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता स्वतंत्र रूप से करनास प्रारंभ किया। यह महिला नेतृत्व के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

निष्कर्ष– पंचायती राज में महिला आरक्षण ने दरवाजा तो खोला है, परन्तु कमरे की चाबी अभी भी पुरूषों के पास है। पाटन विधानसभा क्षेत्र के पंचायतों के आकड़े सिद्ध करते है कि 'प्रॉक्सी नेतृत्व' की समस्या केवल स्थानीय शासन को ही नही, बल्कि विधानसभा के लोकतंत्र को भी कमजोर करता है। जहॉ महिला सरपंच स्वतंत्र है, वहां महिलाएं अधिक वोट डालती है और स्वयं वोट तय करती है। जहॉ महिला सरपंच स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है और वे स्वयं अपने मत का निर्णय करती है। इसलिए, महिला सशक्तिकरण का अगला चरण 'आरक्षण से स्वायत्तता' की ओर बढना है। कानून, प्रशिक्षण, वित्तीय स्वायत्तता और सामाजिक मानदण्ड–इन चारों मोर्चो पर समन्वित हस्तक्षेप से ही पंचायत की 'दीदी' विधानसभा की मतदाता को सचमुच सशक्त कर पाएगी। छत्तीसगढ़ मे 50% आरक्षण ने संख्यात्मक प्रतिनिधित्व तो सुनिश्चित किया, परन्तु गुणात्मक नेतृत्व अभी 'पति की छाया' से पूर्णतः मुक्त नहीं है। पाटन विधानसभा के आकड़ें दर्शाते है कि जहॉ महिला सरपंच स्वतंत्र है, वहॉ महिला करती है। अतः निष्कर्षत कहा जा सकता है कि केवल आरक्षण नहीं, बल्कि "वास्तविक सशक्तिकरण" ही मतदान को लोकतांत्रिक दिशा प्रदान कर सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993, संशोधन 2008
2. राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन 2020
3. Ban & Rao Tokenism or Agency? The Impact of Women's Reservation on village Democracies in Soth India (2008)
4. Chattopadhyay, R., & Duflo, E.- Women as Policy Makers: Evidence from a Randomized Policy Experiment in India. Econometrica (2004)
5. Jain, Devki-Panchayat Raj:Womwn changing Governance, Gender Studies Unit, National Institution of Advanced Studies Bangalore (1996)
6. वर्मा, भगवान सिंह, प्राचीन छत्तीसगढ़ हिन्दी ग्रंथ अकादमी रायपुर 1990
7. गुप्ता, निरंजन लाल, दुर्ग नगर का इतिहास शतायु दुर्ग जिला प्रशासन दुर्ग 2006
8. Saxena Anupam Panchayati Raj in Chhattisgarh: Women's Participation and challenges (2015)
9. Sen, llina –Tribal women and Panchayati Raj, Har-Anand publications, New Delhi, 1995

 Copyright @ 2026 Author

10. बक्ला, माधुर वीणा, बिलासचुर विधानसभा 2008 में महिला मतदाताओं का मतदान व्यवहार समसमायिक अवलोकन
11. malhitra, Anshu - Behind the Veil: Resistance, Women and the Everyday in Colonial South Asia, Cambridge University Press, 2017
12. Saxena, Kiran, Panchayati Raj and Women Empowerment in Theory and Practice, Abhijeet Publications Delhi, (2010)
13. Mohanty, Bidyut & Narayana, Shashi_ Democrattizing Politics:Women in Local Governance, Institute of Social Sciences, New Delhi, (2003)
14. Singla, Pamela single-Women in Panchayati Raj:Grassroots Democracy in India, Concept Publishing Company, New Delhi (2007)
15. Gopal, Niraja – Included or Excluded? Women in Panchyats: A Study of Agency and Represention, Sage Publication, (2006)
16. Kaushik Susheela-Women and Panchayati Raj, Har-Anand Publications, New Delhi, (1995)
17. भारत निर्वाचन आयोग, छ.ग., Form-20 पाटन, AC 2023
18. क्षेत्र सर्वेक्षण, पाटन, जुलाई–अगस्त 2024
19. दुर्ग जिला पार्टल, विकासखंड पाटन आकड़ा
20. सिंह, निशांत, लोकतंत्र एवं चुनाव सुधार, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली(1983)
21. नेमा, जी.पी., जैन, राजेश एवं शर्मा, हरिशचंद्र, भारत में राज्यों की राजनीति, कॉलेज बुक डिपों, जयपुर (2008)
22. बाल, ए.आर., आधुनिक राजनीति और सरकार, मैकमिलन प्रेस, लंदन, (1974)
23. पाधी, के.एस.एन., त्रिपाठी, पी.पी., वोटिंग बिहेवियर ऑफ हाठबल्स इन इंडिया, कृष्णा पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली, (1994)
24. प्रसाद, वीरकेश्वर, शासन एवं राजनीति, ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली, (2008)
25. सुरिन्दर पाल, आर. बी., चुनाव सुधार एवं प्रक्रिया, श्री पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली (1977)
26. सिह, जगत, राजस्थान की राजनीति में चमत्कारिक नेतृत्व, शोध पत्र जयपुर (2009)

 Copyright @ 2026 Author